न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—178/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/178)

1. सीता पुत्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जसवन्तपुरा हाल निवासी खवास तहसील केकडी अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र रामकरण
2. मंजूदेवी पत्नि नारायण
3. रसाली पत्नि भागचंद
4. गोमा पत्नि सत्यनारायण
5. छोटू पुत्र रामकरण
6. मोतिया पुत्री रामकरण
7. सीमा पुत्री रामकरण
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला (अजमेर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 राजस्व वाद संख्या 74/2020

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 7 तलवी बंद

निर्णय

दिनांकः— 24.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 14.10.2021 को पारित

किए गए व प्रकरण में संशोधित आदेश भी दिनांक 11.04.2022 को पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीया को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये एंव बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये ही निर्णय दिनांक 14.10.2021 को पारित कर दिया प्रार्थीया को उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में गांव में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 22.6.2022 को केकडी गई और जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि हुई जिस पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 22.6.2022 को आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 22.6.2022 को प्राप्त हो गयी। तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर प्रार्थी अजमेर आया और वकील साहब से संपर्क कर यह अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में पेश कर रहा है। अतः प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब जानकारी के अभाव में सदभाविक होकर क्षमा योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाये एंव बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये ही सरसरी तौर पर एकतरफा मे निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से निर्णय इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उक्त प्रकरण में अपीलांट को प्रशासन गांवो के संग शिविर दिनांक 14.10.2018 को शिविर में उपस्थित होने बाबत जो नोटिस जारी किये गये है उक्त शिविर में केवल मात्र रेस्पो० स० 5 छोटू ही उपस्थित हुआ है तथा अपीलांट तथा रेस्पो० संख्या 4 लगायत 7 के नोटिस गंगा को दिया जाना बताया गया है जब कि गंगा नाम का कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण में पक्षकार मूर्तिब नहीं है। फिर भी परीक्षण न्यायालय ने अपीलाट की तामील होना मानकर निर्णय पारित करने मे भूल की है। उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर गोर नहीं किया कि अपीलांट सीतादेवी अपने ससुराल ग्राम खवास तहसील केकडी में निवास करती है जब कि रेस्पो० स० 1 ने अपीलांट सीता का निवास ग्राम जसवन्तपुरा बताते हुए उक्त नोटिस की फर्जी तामील करवाई गई है अपीलांट ग्राम जसवन्तपुरा में निवास नहीं करके अपने ससुराल खवास में ही निवास करती आ रही है इस तथ्य को भी परीक्षण न्यायालय ने अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार सावर द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गयी है वह स्वयं तहसीलदार सावर मौके पर नहीं जाकर नहीं बनाई गई बल्कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का के द्वारा तैयार करवाई जाकर उक्त मौका रिपोर्ट को तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष पेश कर दी मौका रिपोर्ट पेश कर दी। जब कि उक्त मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या उच्च अधिकारीयों से तलब करनी चाहिए थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो इस अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी ने इस बात पर गोर नहीं किया कि धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता तभी दिया जा सकता है जब पक्षकार के पास अपनी

खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतू कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो मौजूदा प्रकरण में रेस्पो० के पास पहले से ही रास्ता मौजूद है इसलिये उसे नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० को अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से रास्ता दर्ज करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो इस अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 74/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प घटियाली केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई। ग्राम जसवन्तपुरा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या नया पुराना 106–101 खसरा नम्बर 339 रकबा 0.37 प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जेकाश्त की आराजीयात में आने जाने हेतु कोई रारता विद्यमान नहीं है सरकारी रास्ते से होते हुये अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 315 रकबा 0.34 है0 किस्म चाही व खसरा नम्बर 316 रकबा 0.31 है0 किस्म चाही होकर आता जाता है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावें। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को उनकी खातेदारी में है। दिनांक 27.08.2020 को जे.सी.बी मशीन चलाकर बन्द कर दिया है। जिसे प्रार्थी को उपरोक्त खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता बन्द हो गया है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने का बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रॉली कृषि उपज लाने ले जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा को अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 316 में स्थित है को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में भी रास्ता तरमीम किया जाने के आदेश दिये जायें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि उक्त कदीमी रारते को अवरूद्ध नहीं करें। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर देने हेतु तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.10.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए जाकर प्रकरण में दिनांक 11.04.2022 को संशोधित आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2020 को वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 14.10.2021 को केम्प कोर्ट घटियाली में निर्णय पारित किया

गया। इस अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं पर भी नोटिस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस पक्षकार को नोटिस तामील हुए हैं अथवा किस के नोटिस अदम तामील हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 6 के नोटिस गंगा नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस को तामील माना गया है। परंतु वर्तमान प्रकरण में गंगा नामक व्यक्ति ना तो पक्षकार है अथवा गंगा का अपीलांट से क्या संबंध है या वह उसके परिवार का सदस्य है, इसका कोई उल्लेख नोटिस पर नहीं किया गया है तथा अपीलांट सीतादेवी अपने ससुराल ग्राम खवास तहसील केकडी में निवास करती है जब कि उक्त नोटिस पर अपीलांट सीता का निवास ग्राम जसवन्तपुरा बताते हुए नोटिस की तामील करवाई गई है अपीलांट ग्राम जसवन्तपुरा में निवास नहीं करके अपने ससुराल खवास में निवास करती है। इन समस्त तथ्यों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस को तामील की श्रेणी में मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 14.10.2021 को केम्प कोर्ट घटियाली में नियत किया जाकर निर्णय पारित किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में उपस्थिति बाबत किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए।

प्रकरण में दिनांक 23.09.2021 को भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। परंतु मौका रिपोर्ट में उपस्थिति बाबत उभयपक्षों को किसी भी प्रकार के कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। उक्त मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की अनुपस्थिति में तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 के तहत रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए गए है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:— RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण

संख्या 74/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.04.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित अप्रार्थीगण की विधिवत रूप से **तामील कर**, मौका रिपोर्ट बाबत उभयपक्षों को नोटिस जारी कर उभयपक्षों की उपस्थिति में **नियम 69** की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर **दो माह** में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर